भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-38
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले

38. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में जागरूकता लाने के लिए क्या कदम उठा रही है;
(ख) क्या सरकार का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक योजनाएं तैयार करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश भर में कोचिंग सेंटरों के कार्यकरण के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या किसी निर्धारित नीति या विनियम के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या ऐसे केन्द्र छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं और अन्य कदाचारों में लिप्त हैं;
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे दोषी कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और
(छ) क्या छात्रों अथवा अभिभावकों द्वारा कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) और (ख): छात्रों में आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है तथा आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है।

एनसीईआरटी ने मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) तैयार और शुरूआत की है। एनसीएफ-एफएस 20 अक्टूबर, 2022 को जबकि एनसीएफ-एसई 20 फरवरी 2023 को शुरूआत की गई थी। दोनों एनसीएफ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को समेकित करते हैं।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। मनोदर्पण पहल के तहत की जाने वाली सभी गतिविधियों का उद्देश्य स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सहायता करना है, जिनमें वे छात्र भी शामिल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, साथियों के दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, करियर संबंधी चिंताओं, अवसाद एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मामलों हेतु सुरक्षा उपाय तैयार करने; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने; और छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी जारी की है, जिसमें संस्थागत कार्यप्रणाली में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी ने क्रमशः 30 मई, 2023, 9-10 जून, 2023, 12 मई, 2023 और 26 अगस्त 2023 को मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित कीं। आईआईटी रुड़की द्वारा 13-14 फरवरी, 2024 को इंटर आईआईटी वेलनेस मीट का आयोजन किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (आईआईटीजीएन) ने 4-5 मार्च, 2024 को अपने परिसर में 'बिल्डिंग स्केलेबल सिस्टम फॉर स्टुडेन्ट वेल बीइंग इन रेसिडेन्सियल प्रोग्राम्स' शीर्षक से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरोध क्षमता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरोध क्षमता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संकायों की निरंतर क्षमता निर्माण करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग करना है।

(ग) से (छ) : किसी भी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में, देश में अनियमित निजी कोचिंग सेन्टरों की संख्या में वृद्धि ऐसे सेन्टरों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने, छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालने के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा आत्महत्या करने तथा इन केन्द्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य गलत प्रथाओं के मामलों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2024 को उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से विचार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेन्टरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों में कई पहलू शामिल हैं, जिनमें कोचिंग सेंटरों को परिभाषित करना, पंजीकरण के लिए शर्तें और आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट करना, शुल्क से संबंधित मुद्दे, कोचिंग सेंटरों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे की पूर्व-आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करना, कोचिंग सेंटरों के लिए आचार संहिता निर्धारित करना; मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना, कोचिंग सेंटरों के भीतर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों को सहायता को प्राथमिकता देने का समर्थन करना; कोई बैच पृथक्करण नहीं; अभिलेखों का रखरखाव आदि शामिल हैं।

दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की निरंतर निगरानी, शिकायत तंत्र की स्थापना और शिकायतों का निपटान, दंड, पंजीकरण रद्द करने और अपील आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

*****